कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन भोपाल –462004
Email :- heschlor@mp.gov.in
दूरभाष 0755–2551573

(1)

अंतिम दिनांक 30.09.2022

क्रमॉक 646/41/आउशि/छा/2021 भोपाल दिनॉक 10/08/2022

प्रति,

1. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।

3. प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,मध्यप्रदेश ।

विषयः–सत्र 2022–23 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एवं समस्त वर्गों (सामान्य, पिछडा वर्ग,अनुसूचति जाति, अनुसूचित जनजाति) के दिव्यांग विद्यार्थियों को पीएच.डी. छात्रवृत्ति नवीन एवं नवीनकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सत्र 2022–23 में राज्य शासन के द्वारा मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शोद्यार्थियों के लिए एवं समस्त वर्गों (जिसमे सामान्य/पिछडा वर्ग/,अनुसूचति जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग) के दिव्यांग विद्यार्थियों को पीएच.डी. छात्रवृत्ति के लिये प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों एवं रोजगार निर्माण में विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया है। जिसमें आवेदन करने की अंतिम दिनांक 30.09.2022 निर्धारित की गई है।

अतः प्रदेश के समस्त छात्र–छात्राओं के आवेदन अग्रेषित करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जावे कि आवेदन पत्र दिनॉक 30.09.2022 तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जायें। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा जावेगा। उपरोक्त जानकारी के लिए **www.highereducation.mp.gov.in** उच्च शिक्षा विभाग की बैबसाईट पर नवीन निर्देश पर उपलब्ध है।

(दीपक सिंह)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

बेटी है तो कल है

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004

अंतिम तिथि 30.09.2022

//विज्ञापन//

विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्गो के दिव्यांग (दिव्यांग श्रेणी के सामान्य/पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) शोद्यार्थियों के विद्यार्थियों को पी.एच.डी.के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने बाबत् ।

योजना वर्ष 2022–23

सत्र 2003–04 से प्रारंभ विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत **अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग** के विद्यार्थियों को शोध उपाधि (पीएच.डी.) के लिए छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 मे भी निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है एंव शिक्षा सत्र 2009–10 से प्रारंभ विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत **सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के दिव्यांग शोद्यार्थियों** को शोध उपाधि (पीएच.डी.) के लिए पुरस्कार राशि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 नवीन/नवीनीकरण मे भी निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है । इस योजना के नियम/मार्गदर्शी सिध्दांत निम्नानुसार होंगे :–

1. पात्रता :– ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, तथा जिसने :–

1.1 पीएच.डी. के शोध कार्य हेतु भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में **म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक 2167/3447/2017/38–2 दिनांक 8.12.2017 के अनुसार वि0वि0 में अध्ययनरत अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये शोध छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पंजीयन अनिवार्य होगा एवं शोधार्थी की छात्रवृत्ति के लिये पात्रता संबंधित वि0वि0 द्वारा शोध उपाधि समिति के साक्षात्कार के उपरांत जारी किये गये शोध विषय पंजीयन पत्र में उल्लेखित जावक कमांक तिथि से मानी जावेगी ।**

1.2 स्नातकोत्तर उपाधि मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों एंव सभी वर्गो के दिव्यांग विद्यार्थियों ने निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त किये हों ।

1.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र कलेक्टर/सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो एंव दिव्यांग शोध छात्रवृत्ति के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र कलेक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो ।

1.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक की आय सीमा म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित **रूपये 3,00,000/–(रूपये तीन लाख)** की अधिकतम सीमा से अधिक न हो ।

1.5 सभी वर्गो के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये माता–पिता अभिभावक की आय सीमा म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित **रूपये 1,00,000/–(रूपये एक लाख)** वार्षिक की अधिकतम सीमा से अधिक न हो ।

1.6 सभी वर्गो के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो ।

1.7 (शोधार्थी के पालक/पिता) के वार्षिक आय प्रमाण पत्र के संबध में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 25–9–2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार आय प्रमाण पत्र निर्धारित परिशिष्ट "अ" में प्रस्तुत किया जाना है (निर्धारित परिशिष्ट "एक" बेबसाईट पर अपलोड किया गया है) । शासकीय सेवक नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
(छात्र–छात्राओं का स्वयं का आय प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा)

2. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो जिसके प्रमाण पत्र के संबध में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 25–9–2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार मूल निवासी निर्धारित परिशिष्ट "ब" में प्रस्तुत किया जाना है (निर्धारित परिशिष्ट "दो" बेबसाईट पर अपलोड किया गया है) ।

बेटी है तो कल है

निरंतर 2

3. वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसकी पंजीयन तिथि की अधिसूचना छात्रवृत्ति फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 30.09.2022 तक जारी हो गई हो ।
4. वि.वि. में पंजीयन अनिवार्य होगा । साथ ही यदि कोई आवेदक पूर्व से शोधरत है, तो तीन वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन शोध की शेष (चयनित अवधि) के लिये छात्रवृत्ति देने पर विचार किया जा सकेगा ।
5. **म0प्र के शासकीय/अशासकीय/अनुदान महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वान को पी.एच.डी शोध छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है ।**

6. छात्रवृत्ति धारक जिस शोध कार्य के लिये छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है तो वह कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त नहीं करेगा, और न अन्य छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करेगा यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को पूर्व से ही कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही हैं, तो उसे इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिये पूर्व की छात्रवृत्ति छोड़ना पड़ेगी । अर्थात एक समय में एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी । अग्रेषणकर्ता अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के बाद ही आवेदन पत्रों को अग्रेषित करेंगें ।

7. <u>चयन प्रकिया :– (नवीन आवेदन के लिए)</u>

7.1. शोधार्थियों का चयन केवल छात्रवृत्ति की संख्या की सीमा में स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर बनाई गई चयन सूची में क्रमानुसार निर्धारित कोटा अथवा सीमा तक किया जावेगा ।

7.2 यदि कोई आवेदक /शोधार्थी संबंधित संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर समान अंक प्राप्त करते हैं,तो वहॉ एम.फिल.धारक को एम. फिल. में प्राप्त अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।

7.3 यदि दोनों आवेदक एम.फिल हों एवं समान अंक हों, तो जिसका पंजीयन पूर्व का होगा (**छात्रवृत्ति के लिये पात्रता संबंधित वि0वि0 द्वारा शोध उपाधि समिति के साक्षात्कार के उपरांत जारी किये गये शोध विषय पंजीयन पत्र में उल्लेखित जावक कमांक तिथि से मानी जावेगी।**) उसें प्राथमिकता दी जावेगी ।

8. <u>छात्रवृत्ति का नवीनीकरण:–</u>

छात्रवृत्ति का नवीनीकरण संभागीय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय उच्च शिक्षा म.प्र. द्वारा किया जावेगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिये विश्वविद्यालय/केन्द्राध्यक्ष द्वारा संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय को निम्न जानकारी शोधार्थी द्वारा, दी जावेगी :–

1– वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
2–.पूर्व स्वीकृत छात्रवृत्ति आदेशों की प्रति
3–नियमित उपस्थिति पत्रक शोध कार्य का प्रगति प्रतिवेदन छात्र के निर्देशक/गाईड से प्रमाणित कराकर विश्वविद्यालय के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा ।
4–संतोष जनक प्रगति प्रतिवेदन
5–उत्तम आचरण
6–पूर्व स्वीकृत छात्रवृत्ति का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजें । इसके पश्चात ही अगले वर्ष की छात्रवृत्ति देय होगी ।

9. आवेदन पत्र नवीनीकरण हेतु संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश को ही भेजें। छात्रवृत्ति का नवीनीकरण उक्त आधार पर किया जाकर दिनांक 20.10.2022 तक बजट की मॉग संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. भेजा जाना सुनिश्चित करें। जो आवश्यकतानुसार संभागीय क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश को आवंटन कर दिया जावेगा।

बेटी है तो कल है

निरंतर 3

10. म.प्र. राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोधार्थियों को उपरोक्तानुसार शोध कार्य का संतोषजनक प्रगति प्रतिवेदन,अपने निर्देशक/गाईड से प्रमाणित कराकर विश्वविद्यालय के माध्यम से उपस्थिति पत्रक ,वार्षिक आय का प्रमाण पत्र पूर्व स्वीकृति छात्रवृत्ति आदेश की प्रति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अपने निर्देशक/गाईड से प्रमाणित कराकर विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल को विश्वविद्यालय के विनियम/अध्यादेश में उल्लेखित निर्धारित तिथि/अवधि के भीतर भेजना होगा । जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होने एवं संतोषजनक पाये जाने पर नवीनीकरण आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा किया जाकर संबधित विश्वविद्यालय/केन्द्राध्यक्ष को छात्रवृत्ति की राशि बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से भेजी जावेगी एवं संबंधित विश्वविद्यालय एवं केन्द्राध्यक्ष द्वारा यह राशि शोधार्थियों के बैंक खातें में भुगतान कर भुगतान वितरण की जानकारी (प्राप्ति की रसीद के साथ) आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. को प्रस्तुत करेंगें । यह अनिवार्य होगा कि भुगतान प्राप्ति की सूचना सबंधित शोधार्थी भी आयुक्त, उच्च शिक्षा, को प्रेषित करेगा । यह शोधार्थी का उत्तरदायित्व होगा । आगामी नवीनीकरण अपेक्षित वितरण एवं भुगतान की जानकारी प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं । यह नवीनीकरण के साथ प्रमाणित होना चाहिये।

11. शोध छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष 156 विद्यार्थियों को अधिकतम सीमा/कोटे के अधीन रहते हुए अनुसूचित जाति के 100 एवं अनुसूचित जनजाति के 56 विद्यार्थियों एवं सभी वर्गो के दिव्यांग के 10 विद्यार्थियों को प्रतिमाह रूपये 16,000/-(रूपये सोलह हजार मात्र) या समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित दर से देय होगी ।

जिसका निम्नानुसार संकायवार वर्ष 2022–23 हेतु कोटा निर्धारित किया गया है ।

स.क्र.	संकाय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सभी वर्गो के दिव्यांग	योग
1.	विज्ञान संकाय	25	14		**39**
2.	वाणिज्य संकाय	25	14		**39**
3.	कला संकाय	25	14		**39**
4.	शेष अन्य सभी संकॉय	25	14		**39**
5	सभी वर्गो के दिव्यांग	---	---	**10**	**10**
	अधिकतम कुल योग	100	56	**10**	**166**

नोट:- 1. प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट सूची संकायवार बनाई जावेगी ।

2 मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक 1254/681/2013/38-2 दिनांक 30/7/2013 के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ10-2/03/38-2 दिनांक 10/6/2003 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पीएच.डी. हेतु शोध छात्रवृत्ति योजना के नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत की कंडिका 11 में राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति योजना में सीट (कोटा) भरने हेतु व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

2.क अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विभिन्न संकायों में वर्तमान प्रकिया का पालन यथावत रखा जाये, किन्तु किसी संकाय में यदि सीट (कोटा) निर्धारित तिथि तक भी नहीं भर पाती है, तब इसी वर्ग के अन्तर्गत अन्य संकाय में सीट (कोटा) भरने के पश्चात कोई प्रतीक्षा सूची में आवेदन कर्ता उपलब्ध है, तब गुणानुकम (मैरिट) के आधार पर वह सीट (कोटा) उनको आवंटित कर दी जावेगी ।

बेटी है तो कल है

12 उपरोक्त मापदंडों में संशोधन विचाराधीन है, जो मान्य एवं बंधनकारी होगा । अतः आवेदक को आवेदन करने मात्र से कोई अधिकार निर्मित नहीं होगा । **ऐसे सभी मामले जिनकी व्यवस्था इन नियमों में नहीं है, में आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।**

13. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी यदि किसी समय भी असत्य पाई गई तो उसके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

14. आवेदन पत्र इस कार्यालय में आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल के नाम से दिनाँक **30.09.2022**तक प्राप्त हो जाना चाहिये। अन्य जानकारी **www.highereducation.mp.gov.in** उच्च शिक्षा विभाग की बैबसाईट पर उपलब्ध है । साथ ही विभाग के क्षेत्रीय संभागीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा/विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो से भी प्राप्त की जा सकती है ।

15. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

इस छात्रवृत्ति के संदर्भ में आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल में पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,छात्रवृत्ति से भी दूरभाष कमॉक 0755–2551573 पर संपर्क किया जा सकता है।

"आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ.अजय अग्रवाल) 19/8

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,म.प्र

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुडा भवन भोपाल–462004
Email- heschlor@mp.ghov.in
दूरभाष 0755–2551573

नवीन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन का प्रारूप
अंतिम तिथि 30.09.2022

विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग शोधार्थियों को पी.एच.डी. करने हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र वर्ष 2022–2023

संकाय ....

विषय...

पंजीयन तिथि..................................

छात्र/छात्रा का फोटो अभिप्रमाणित

संबंधित श्रेणी को चिन्हित (√) करे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

1.	शोध छात्र/छात्रा का पूरा नाम	
2.	पिता/अभिभावक का पूरा नाम	
3.	विद्यार्थी का पता स्थायी/पत्र व्यवहार का पता	
3.1	ई.मेल.आई.डी.	
3.2	दूरभाष/मो.नं.	
3.3	बैंक खाता क्रं.	
3.4	बैंक का नाम	
3.5	बैंक का आई.एफ.सी.कोड	
3.6	आधार कार्ड की प्रति	
4.	विश्वविद्यालय का पूरा नाम जिसमें आवेदक पंजीकृत है ।	
5.	पीएच.डी. का विषय, शीर्षक	
6.	पंजीयन क्रमॉक एवं दिनॉक छाया प्रति संलग्न करें । (आर.डी.सी. के उपरांत जारी पत्र के साथ)	
7.	शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण एवं सत्यापित सूची संलग्न करें	
8.	सभी वर्गों के दिव्यांग विद्यार्थियों का विकलांगता का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।(सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नवीनतम)	

क्र.	परीक्षा का नाम	वोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष	अनुक्रमॉक	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

_नोटः– यदि सी.जी.पी.ए. दिया हो उस विश्वविद्यालय के द्वारा सी.जी.पी.ए. को प्रतिशत में परिवर्तन करने के फार्मुला की प्रमाणित प्रति लगाये।

निरंतर 2

9.	पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (डिजिटल) कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो ।	
10	म.प्र.का मूल निवासी प्रमाण पत्र के संबध में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 25–9–2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार मूल निवासी प्रमाण पत्र निर्धारित **परिशिष्ट "एक"** में प्रस्तुत किया जाना है (निर्धारित **परिशिष्ट "एक"** बेबसाईट पर अपलोड किया गया है)। अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण–पत्र ।(शोधार्थी का स्वयं का)	
11.	माता–पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोंतों से प्राप्त वार्षिक आयप्रमाण पत्र के संबध में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 25–9–2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार आय प्रमाण पत्र निर्धारित **परिशिष्ट "दो"** में प्रस्तुत किया जाना है (निर्धारित **परिशिष्ट "दो"** बेबसाईट पर अपलोड किया गया है)। अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र।(पिता/अभिभावक का)	
12.	उस महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम जिसमें शिक्षा सत्र 2021–22 अथवा उसके पूर्व सत्रों में परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अंकसूची एवं डिग्री की सत्यापित प्रति।	
13.	पी.एच.डी. की अवधि	
14.	शोध केन्द्र का नाम	
15.	मार्गदर्शक प्रोफेसर/गाईड/सहमार्गदर्शक (को–गाईड का विवरण)	
	1 नाम	
	2 महाविद्यालय/सेवारत संस्थान का नाम	
	3 पदनाम मोबाईल नम्बर	

घोषणा

1. मैं एतद् द्वारा, यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये विवरण पूर्णतः सत्य हैं।
2. मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ कि आवेदित छात्रवृत्ति के लिये मेरा चयन किया जाता है तो मैं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से शोध कार्य में संलग्न रहूँगा/रहूँगी। और यह कि मैं किसी अन्य स्रोतों से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करूंगा/करूंगी ।
3. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ, कि मैं कोई सेवा या व्यवसाय आदि नहीं करूंगा/करूंगी, यदि राज्य शासन की छात्रवृत्ति में चयन होता है, और अन्य छात्रवृत्ति मिलती है, तो इस कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर ही अन्य छात्रवृत्ति ले सकूंगा/सकूंगी ।
4. मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ, कि यदि मेरे द्वारा शोध अवधि में कहीं नौकरी/व्यवसाय करते हुए पाये जाने पर अर्थात घोषणा पत्र में दी गयी शर्तो के विपरीत कार्य करने पर शासन द्वारा, शोध छात्रवृत्ति में दी गई राशि को मैं वापिस करूंगा/करूंगी ।

स्थान :–दिनाँक :–

संलग्न :–सहपत्रों की संख्या

आवेदक के हस्ताक्षर

निरंतर.............3

विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....
को दिनॉक ....को पीएच.डी.विषय...
....संकाय..में नियमित/पूर्णकालिक छात्र के रूप में प्रवेश लिया गया है, और इनका शोध कार्य अभी जारी है । मैने इस आवेदन पत्र की पृविष्टियों की जॉच कर ली है, वे सही है, इनका शोध केन्द्र .... एवं पंजीयन तिथि................ .... है ।

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ, कि उक्त शोधार्थी का कार्य व्यवहार एवं आचरण अच्छा/उत्तम कोटि का है ।

कुल सचिव/संस्था प्रमुख के
हस्ताक्षर एवं सील

बेटी है तो कल है

—000—

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सभी वर्गो के दिव्यांग विद्यार्थियों को पी.एच.डी. शोध आवेदन के साथ निम्नलिखितदस्तावेज संलग्न करेः–

1. आर.डी.सी.के उपरांत पीएचडी पंजीयन संबंधी विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र।
2. म.प्र.का मूल निवासी प्रमाण–पत्र (स्वयं का परिशिष्ट दो में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पात्रता अनुसार घोषणा पत्र)
3. जाति प्रमाण पत्र (कलेक्टर/समक्ष अधिकारी से डिजिटल फार्मेट) में। दिव्यांग छात्र/छात्रओं के लिए आवश्यक नही।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। परिशिष्ट एकके अनुसार घोषणा पत्र (आय प्रमाण पत्र अभिभावक /पिता का होना आवश्यक है।)
5. सभी वर्गो के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता संबंधी प्रमाण–पत्र।
6. आवेदक छात्र/छात्रा के द्वारा इस आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रमाणित जिसमें आवेदक इस शोधकार्य के लिए अन्य कोई भी छात्रवृत्ति या वजीफा पूर्व से प्राप्त तो नही कर रहा है और छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अवधि में इस शोध कार्य के लिए अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नही करेगा, एवं शासकीय या निजी रोजगार में न होने का नोटरी का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
7. शैक्षणिक अंकसूचितयॉ (स्नातक/स्नातकोत्तर)

A Agrw
10/8